

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 700-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 10 जनवरी, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१४

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१४ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ११ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“१२.	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.”

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ५ सन् २०१३) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ यह उपबंध करती है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करते हुए एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ५ सन् २०१३) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ८ जनवरी २०१४.

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं छात्रों के समग्र विकास एवं शिक्षा के समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु एक नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक थी. इसी को दृष्टिगत रखते हुए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ में आवश्यक संशोधन कर नये निजी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया जाना आवश्यक था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था इसलिए मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१३ इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण में लाया जाए.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.